गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

पंजीकृत कार्यालय:
गेल भवन
16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066, इंडिया

Regd. Office:
GAIL BHAWAN
16 BHIKAIJI CAMA PLACE, R.K. PURAM
NEW DELHI-110066, INDIA

फोन/PHONE: +91 11 2618 2955
फैक्स/FAX: +91 11 2618 2955
ई-मेल/Email: info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2025 **31.01.2025**

1. Listing Compliance
   National Stock Exchange of India Limited
   Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
   G Block, Bandra-Kurla Complex,
   Bandra (East) Mumbai – 400051
   Scrip Code: GAIL-EQ

2. Listing Compliance
   BSE Limited
   Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
   Dalal Street
   Mumbai – 400001
   Scrip Code: 532155

Sub.: Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2024

Dear Sir/Madam,

This is in compliance of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the subject cited above, please find the attachment.

The above is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

Mahesh Kumar Agarwal
2025.01.31 14:48:36 +05'30'

(Mahesh Kumar Agarwal)
Company Secretary

Encl: As above

'No' To 'Yes' In 3 Weeks To Chop 93 Trees

To Make Way For Ggn Condo

Ipsita.Pati@timesofindia.com

Though it is not officially designated as a 'forest' by Haryana govt, the Aravali area ought to be protected under the Forest (Conservation) Act as directed by Supreme Court

Gurgaon: After rejecting an application to chop 93 trees for a luxury condominium project in a forested area just off Golf Course Road, the Haryana forest department three weeks later granted permission to a real estate company. The approval came without a detailed compensatory afforestation plan being submitted.

Environmentalists and legal experts said apart from not following the norm on compensatory afforestation, permission to axe 93 trees is illegal because the Aravali area where the realtor wants to build the luxury houses has all characteristics of a "deemed forest".

Though it is not officially designated as a "forest" by Haryana govt, the area ought to be protected under the Forest (Conservation) Act as directed by Supreme Court in its 1996 ruling in the TN Godavarman vs Union of India case.

In this landmark order, the top court had said that any area that meets the "dictionary definition" of forest must be protected under FCA regardless of its official designation in govt records. Last year, Supreme Court reiterated this judgment and told the Centre and all state govts to go by this broader definition of forest.

"Although the definition of Aravalis and 'forest' is yet to be finalised in Haryana, this area falls within foothills of the Aravalis. On initial observation, it appears to be a deemed forest. Hence, non-forest activities should not be permitted," said Gaurav Bansal, a senior Supreme Court advocate.

According to documents reviewed by **TOI**, the real estate company filed six applications separately to the forest department between Oct and Dec last year. In all, permissions were sought to fell a total of 350 trees for the same project.

On Dec 3, 2024, the forest department rejected one of the six applications for chopping 93 trees and said in its response to the realtor: "Applicant may be directed to apply tree felling of one project through one application."

But on Dec 24, the forest department approved the same application, saying: "Permission is granted for felling 93 trees and transplant of 01 Pipal tree."

The department's revised decision noted that the developer must "plant saplings ten times" the number of trees that will be chopped, but there was no mention of where or when this plantation drive will be carried out.

Guidelines say that a compensatory afforestation plan must be submitted at the time of seeking approval to chop trees. In the days between these two notices, the conservator of forests for south Haryana was replaced on Dec 16.

Booze bottle barcode helps cops find out man who killed realtor

Rahul.Singh1@timesofindia.com

Virendra Rai's business associate Vikas Tomar with cops after arrest

Meerut: The empty liquor bottle sat in the dirt, a witness to a heinous murder, until Jan 13, when forensic officers picked it up carefully, its surface smudged with fingerprints. The barcode on its label — an innocuous sequence of numbers — held the key to a story that began with trust, money exchanging hands, and betrayal, and ended in a field off National Highway-9, where a man lay dead.

For 17 days, police tried to answer the question: Who left Virendra Rai's body here? The body of 55-year-old Delhi-based property dealer was found partially clothed, discarded in the Babugarh area of Uttar Pradesh's Hapur district. No identification, no immediate clues — only that one bottle.

Police had seen this before. Bodies turning up on NH-9 with disturbing frequency. Women stuffed into suitcases. Men, their faces burned to erode their identity. Highway murders that carried a certain precision — a body dumped just far enough away to complicate police stations' jurisdictions.

This time, though, there was a trail. The barcode led them to a liquor store in Delhi. The receipt led them to a man — Rai's 45-year-old business associate Vikas Tomar. The two had met in jail, the kind of friendship that is forged in the gray spaces of the system.

"Both the deceased and accused had criminal cases registered against them. Once released on bail, they had built a business together in Dwarka and Rohini." Hapur SP Kunwar Gyananjay Singh said.

The partnership might have worked had it not been for Rs 2 lakh — the sum that left Rai drinking his last glass with Tomar on Jan 12. An argument erupted over the unpaid amount. The fight escalated, and Tomar killed Rai, later dumping his body by the highway to throw off investigators. By the time forensic teams arrived, all that remained were scattered pieces of evidence — including the liquor bottle.

Babugarh SHO Vijay Gupta told **TOI** that the empty bottle ultimately broke the case open. "A police team and forensic experts reached the spot and collected samples, which included an empty liquor bottle. The barcode on the bottle was scanned, indicating that it was purchased from Delhi," he said.

Delhi Police was contacted, and the missing person report filed at Rohini police station came up. "The family was called, who confirmed the dead man's identity," Gupta added. The liquor bottle, the fingerprints — each piece had locked into place. The police soon tracked Tomar down in Gurgaon and arrested him on Thursday morning. When questioned by the police, Tomar allegedly confessed. He had killed Rai and left him by the highway, thinking the road would do what it had done for so many others: swallow the evidence.

The highway doesn't just connect cities; it connects crimes. A woman's body was found in a suitcase near a service lane in Nov. In June, another woman's body was pulled from a sack in Babugarh. Last year, another suitcase, another body, another woman. "They think they can dump bodies here with the road taking care of the rest," a senior police officer said.

Just two days before Rai's murder, another case had surfaced — Mohd Nasir, a 35-year-old cloth merchant from Delhi, was found near Simbhaoli, his face burned beyond recognition, a bullet lodged in his skull. His killers — Mohd Aamir and Mohd Furkhan — were arrested, but the pattern remained.

Defamation case: Kapoor moves HC against CM

New Delhi: A BJP leader on Thursday moved Delhi High Court against an order dismissing his defamation case against chief minister Atishi. In his plea, Praveen Shankar Kapoor said while rejecting the defamation complaint and quashing the summons issued by a magisterial court, the special judge went "beyond" the scope of his power in law.

According to the complaint by the former media head and spokesperson of the Delhi BJP unit, Atishi levelled baseless allegations in a press conference against BJP by saying that it was approaching AAP's MLAs and offering them bribes to the tune of Rs 20-25 crore for switching sides.

On Jan 28, Special Judge Vishal Gogne held that the allegations made by Atishi constituted the exercise of the right to freedom of speech. PTI

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

YEIDA FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नौएडा,

Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक–वाई०ई०ए०/OSD(M)/2025/188 दिनांक: 08.01.2025

ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासिक/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है। ई–प्रीक्योरमेंटसोल्यूशन द्वारा निविदायें द्विस्तरीय पद्धति से खोली जायेंगी।

कार्यालय आदेश संख्या : **वाई.ई.ए./OSD(M)/2025/187 दिनांक 08.01.2025** के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी (बी0ओ0क्यू0) पर डाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके पश्चात 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मेन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारन्टी/एन0एस0सी0 के रूप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
1	Operation and Maintanance of LED Light for one year on 45mtr wide road in Sector-24 yeida.WC-(E M-03)	रु० 07.16 लाख

जिन्हें दिनांक 05.02.2025 से 11.02.2025 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है।
प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालीफिकेशन दिनांक 13.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
2	Maintenance of street Light for Rehabilitation and Resettlement of village - Abadi"s in jewer Banger (year 2024-2025) WC-(E&M-03)	रु० 24.91 लाख
3	Construction of 09 nos double pole structure at existing 33/11 kv substation in R and R (jewar banger phase -1) YEA WC-(E&M-03)	रु० 26.96 लाख
4	Construction of 11kv underground Double Circuit feeder from 33/kv Sub-Station ESS-03(Pocket-2B) to Existing feeder on 100mtr.wide road in front of pocket-4A, sector-18, YEA WC-(E&M-03)	रु० 44.41 लाख
5	Shifting of 11kv Over Head line at Plot No 127, 128 in other Plots Sector- 33, YEA WC- (E M-03)	रु० 19.22 लाख

जिन्हें दिनांक 05.02.2025 से 14.02.2025 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है।
प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालीफिकेशन दिनांक 17.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
6	Providing Street light at Village Nagla Shahpur yea.WC-(E M-02)	रु० 25.64 लाख
7	Construction of Double circuit 11kv underground HT Line from 33/11kv Substation in Pocket-A Sector-20 to Sector-22E yeida WC-(E M-02)	रु० 108.64 लाख
8	S/I/T/C Pumping Set and other works for U.G.R in Sector-32A yea WC-(E M-02)	रु० 122.48 लाख
9	Internal Services of ELV work (CCTV and Video Conferencing) HAVC work and BMS System for CSF-02(Plot-No-11) Sector-28 yeida. WC-(E M-02)	रु० 165.69 लाख
10	Internal Services of ELV work (CCTV only), HAVC work and BMS System for CSF-05(Plot-No-09) Sector-28 yeida. WC-(E M-02)	रु० 168.93 लाख

जिन्हें दिनांक 06.02.2025 से 17.02.2025 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालीफिकेशन दिनांक 19.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
11	Internal Extra Low Voltage work, Heating Ventilation, Air Conditioning Work Building Management system work Along with External Electrification work for Central Warehouse Building No-07 (Plot-No-1) Sector-28 yea.WC-(E M-02)	रु० 367.18 लाख

जिन्हें दिनांक 06.02.2025 से 19.02.2025 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है।
प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालीफिकेशन दिनांक 21.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

1. निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रुप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना बेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी (एम.)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की बेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
DIRECTORATE OF HIGHER & TECHNICAL EDUCATION
ITANAGAR

No. HTE - 17/3/2021 **Dated Itanagar the 22nd January, 2025**

ADVERTISEMENT

Applications are hereby invited from the citizens of India for filling up the following post on **tenure / term basis in the Arunachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission** under the Department of Education, Directorate (Higher & Technical Education), Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar as per the details given below and in the appended proforma:

Sl. No.	Name of the post	No. of post	Pay Scale (As per 7th CPC)
1	Member	01 (one)	Rs. 2,05,400 + other allowances as admissible as per existing State Govt. Rules

ELIGIBILITY CRITERIA

The applicant (s) of the above post should invariably be person of eminence in the public life or in the field of Higher Education or who have remained Secretary or above to the Government of Arunachal Pradesh or held equivalent posts in the Government of India (GoI) for a period of not less than 3 (three) years. The Chairperson and Members shall not be from the same field of specialization as mandated explicitly in the Section 4, Sub-Section (1) of "Arunachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2017".

TERMS & CONDITIONS

The Member of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a Search Committee for a period of 3 (three) years or until he or she attains the age of 65 years, whichever is earlier, and such Member may be eligible for a second term subject to the upper age limit of 65 years. After the expiry of the term of office, the Member, as the case may be, shall not be eligible for further employment or any assignment in any of the Private Educational Institutions within Arunachal Pradesh or their associate offices or Companies within or outside Arunachal Pradesh for a period of three years as mandated explicitly in the Section 4, Sub-Section (2) of "Arunachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2017"

The applications along with all testimonials/documents supporting the candidature should reach to the office of the Director of Higher & Technical Education, Govt. of Arunachal Pradesh, ESS Sector, Itanagar, 791111 within 21 days from the date of the notification in the newspapers via hard copy as well as e-mail: **dhearunachal@rediffmail.com**. Incomplete applications and the applications not in the prescribed format will be rejected summarily.

Sd/-
(Dr. Milorai Modi)
Director
Higher &Technical Education
Government of Arunachal Pradesh
Itanagar

DIPR/ARN-0014/2024

Two minors nabbed for murdering 24-year-old

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Two minors were apprehended for killing a 24-year-old man in southwest Delhi's Kishangarh. Police said one of the accused was infuriated after the victim spoke to his sister, prompting him to kill the man with his friend's help.

Deputy commissioner of Police (Southwest) Surender Choudhary said a relative of the deceased reported that on Jan 29, at 11.30 pm, two individuals stopped them in a lane in Katwaria Sarai. One of the attackers grabbed the victim's relative tightly, while the other boy stabbed him in the chest multiple times with a knife. Both perpetrators fled the scene immediately.

The injured man was taken to the hospital, and a case was registered. During the inquiry, police identified the attackers and found that they deliberately avoided carrying mobile phones to evade detection.

"A door-to-door inquiry was conducted in the area, and their movement was tracked around Sanjay Van, Kishangarh. A team was sent, and the duo, both approximately 16 years old, were apprehended," police said.

'Chargesheet already filed', rape-accused lawyer gets bail

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A Delhi court granted bail to a lawyer accused of rape, stating that the police investigation was complete as the chargesheet was already filed, and further incarceration of the accused would serve no purpose.

The court of additional sessions judge Rajesh Kumar, in its order dated Jan 29, noted that the investigating officer (IO) did not arrest the accused as his custodial interrogation was not required. Sushil, the accused lawyer, was deemed to be in the court's custody for deciding the bail plea.

The court said, "Investigation was completed and the chargesheet already filed. No useful purpose will be served by sending the accused behind bars."

The court was hearing the bail plea of accused advocate Sushil, against whom an FIR was registered under penal provisions of rape and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) provisions. The case stems from allegations made by a 21-year-old woman who accused the lawyer of raping her in his Tis Hazari Court chamber. She also alleged he raped her 16-year-old sister.

Counsels for the applicant, Sanser Pal Singh and Neeraj Dahiya, said that the FIR was filed with ulterior motives to intimidate the applicant, disrupt his legal practice and tarnish his reputation, particularly in response to his efforts to expose corruption.

GAIL (India) Limited
(A Govt. of India Undertaking)

Extract from the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2024 (₹ in crore unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Financial year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Financial year Ended
		31st December 2024	31st December 2023	31st December 2024	31st December 2023	31st March 2024	31st December 2024	31st December 2023	31st December 2024	31st December 2023	31st March 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	34,957.76	34,253.52	1,01,580.11	98,303.61	1,30,638.11	36,937.05	34,767.84	1,05,740.27	1,00,666.30	1,33,499.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,588.72	3,693.99	9,683.46	8,712.80	11,554.56	2,832.01	4,074.77	10,415.48	9,495.74	12,595.01
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,028.75	3,693.99	12,123.49	8,712.80	11,554.56	5,272.04	4,074.77	12,855.51	9,495.74	12,595.01
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,867.38	2,842.62	9,263.29	6,659.51	8,836.48	4,084.24	3,193.34	9,957.26	7,428.50	9,902.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,174.51	3,044.81	8,487.76	8,295.53	12,142.03	2,454.23	3,334.75	9,208.76	8,895.63	13,041.73
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10 each)	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)					49,555.98					58,302.34
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	-					
9	Net worth	65,429.62	57,547.86	65,429.62	57,547.86	56,131.08					
10	Outstanding Debt	12,126.84	14,195.16	12,126.84	14,195.16	16,413.08					
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-					
12	Debt Equity Ratio (in times)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.29					
13	Earnings per share (in ₹) (Face Value of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted (EPS for the Quarter and Nine Months not annualised)	5.88 5.88	4.32 4.32	14.09 14.09	10.13 10.13	13.44 13.44	6.21 6.21	4.86 4.86	15.15 15.15	11.30 11.30	15.06 15.06
14	Capital Redemption Reserve	126.74	126.74	126.74	126.74	126.74					
15	Debt Service Coverage Ratio (in times)	5.18	4.00	4.24	3.39	3.31					
16	Interest Service Coverage Ratio (in times)	20.92	16.46	16.04	12.98	12.97					

Notes:-
1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailonline.com).
2. The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3. For Other Line items referred in Regulation 52(4) SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailonline.com).
4. Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

Place : New Delhi
Date : 30th January 2025

Scan QR Code To Read Detailed Financial Results

Regd. Office: GAIL Bhawan, 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066 | **CIN:** L40200DL1984GOI018976

For GAIL (India) Limited
Sd/-
(R K Jain)
Director (Finance) and CFO
(DIN: 08788595)

www.gailonline.com #EnergizingPossibilties Follow us :

अरुणाचल प्रदेश से बनवाया था दस्तावेज, एनजीओ की शिकायत पर कार्रवाई

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में क्रिकेटर पर मामला दर्ज

जालसाजी

■ राजन शर्मा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के जोन 21 के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश भारद्वाज के खिलाफ पालम थाना पुलिस ने 29 जनवरी को केस दर्ज किया है। यश और उसके परिजनों पर अरुणाचल प्रदेश से क्रिकेटर का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरेन्द्र भारद्वाज अपने परिवार के साथ राज नगर की पालम कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी पूनम भारद्वाज और बेटा यश भारद्वाज शामिल है। यश भारद्वाज बीसीसीआई के लिए क्रिकेट खेलता है और वह बीसीसीआई के जोन 21 दक्षिण-पश्चिमी की टीम में है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक एनजीओ ने 23 जनवरी को बीसीसीआई के जोन 21 के लिए क्रिकेट खेलने वाले यश भारद्वाज और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यश का जन्म दिल्ली में छह दिसंबर 2003 को हुआ था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से जन्म प्रणाम पत्र जारी किया गया था। इस प्रमाण पत्र 29 सितम्बर 2015 है। यश के परिजनों पर आरोप है कि उन्होंने 16 जून 2017 को अरुणाचल प्रदेश से यश का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है। इस प्रमाण पत्र में यश का जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंट जिला स्थित पीएस सीपा के सचुंग में डाकघर लाडा का दिखाया गया है। यश ने दिल्ली के वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है।

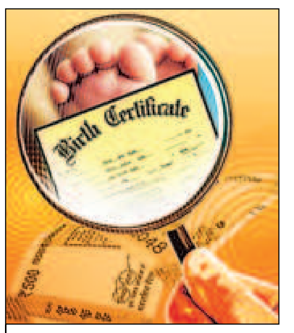

■ पुलिस ने इस मामले में क्रिकेटर के माता-पिता को भी आरोपी बनाया

घरेलू क्रिकेट सत्र खेलने के लिए इस्तेमाल किया

जांच में सामने आया कि आरोपी कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यश ने इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र खेलने के लिए किया है। यश ने जब घरेलू क्रिकेट सत्र में हिस्सा लिया था तब वह नाबालिग था। दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि मामले की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद दस्तावेज और अन्य पहलू की जांच के बाद संबंधित धारा में केस दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी गिरफ्तार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जितेन्द्र गोगी गिरोह के शूटर और कुश्ती के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अक्षय उर्फ टैक्सी के पास से पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने गत वर्ष सितम्बर में नरेला इलाके में जेल में बंद गैंगस्टर रोहित उर्फ मोई के कहने पर फायरिंग की थी।

अक्षय ने पिछले वर्ष 24 सितम्बर को इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। एसीपी उमेश बर्थवाल, इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने धौला कुआं, मेट्रो स्टेशन के पास से आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुश्ती का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। एक साथी की मदद से जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह के एक बदमाश रोहित के संपर्क में आया था।

नाबालिग बहन से बात करने पर युवक की हत्या

नई दिल्ली, व.सं.। किशनगढ़ इलाके में 29 जनवरी की देर रात एक नाबालिग ने बहन से बात करने पर युवक की चाकू से गोदकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। अस्पताल में घायल 24 वर्षीय कामिल की उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने गुरुवार शाम को दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उपायुक्त सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि कामिल अपने परिवार के साथ कटवारिया सराए इलाके में रहता था। मृतक के चचेरे भाई तारिक ने बताया कि 29 जनवरी की रात को वह कामिल और शिवा के साथ रेस्टोरेंट पर काम खत्म करने के बाद घर जा रहे थे। कटवारिया सराए पहुंचने पर दो किशोरों ने उनका रास्ता रोक लिया और कामिल पर चाकू से हमला कर दिया। शिवा और तारिक ने कामिल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

कबूतरबाजी में एयरपोर्ट पुलिस ने दो आरोपी दबोचे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कबूतरबाजी के मामले में एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी वीजा छापने वाले शख्स को एजेंट सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उदयपाल और तेजेन्द्र के रूप में हुई है। इस मामले में अन्य आरोपी परमजीत को पुलिस बीते सप्ताह गिरफ्तार कर चुकी है।

चाणक्यपुरी पुलिस ने आरोपी उदयपाल को बीते वर्ष भी कबूतरबाजी के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, बीते 12 जनवरी को दुबई से सौरव और सुमित को डिपोर्ट कर आईजीआई एयरपोर्ट भेजा गया था। जांच में उनके पासपोर्ट पर फर्जी वीजा मिला था।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विदेश जाने के लिए वे एजेंट परमजीत से मिले थे। आरोपी एजेंट ने 10 लाख रुपये में दोनों को दुबई के रास्ते पॉलैंड भिजवाने और वहां पर नौकरी दिलवाने का वादा किया था।

शहर 30s

विश्व एनटीडी दिवस पर गुरुवार को इंडिया गेट बैंगनी और गुलाबी रंग की चमकीली रोशनी से जगमगाया। सैकड़ों दर्शकों ने नजारा देखा। ● हिन्दुस्तान

रंगीन रोशनी से जगमगाया इंडिया गेट

नई दिल्ली। विश्व एनटीडी दिवस पर गुरुवार को इंडिया गेट बैंगनी और गुलाबी रंग की चमकीली रोशनी जगमगाया। यह नजारा देखने के लिए सैकड़ों दर्शक उस समय वहां पर मौजूद रहे। हर साल 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस मनाया जाता है। एनटीडी विनाशकारी रोगों का एक समूह है जो दुनिया भर में लगभग एक अरब लोगों को प्रभावित करता है। एनटीडी में हाथीपांव, कालाजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया जैसे रोग शामिल होते हैं।

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रिया में बदलाव

नई दिल्ली। साहित्य अकादमी की ओर से मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रतिवर्ष दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार मुख्य पुरस्कार के चयन के लिए स्वयं लेखकों, प्रकाशकों और उनके शुभचिंतकों से पुस्तकें आमंत्रित की हैं। साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने बताया कि अंतिम तिथि 28 फरवरी है। जानकारी **www.sahitya-akademi.gov.in** पर उपलब्ध है।

'आरोपी को फोन कॉल की सुविधा का हक नहीं'

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कहा कि आतंकवाद, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और अन्य जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति नहीं देना प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं है। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरु और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अपराधों में कथित तौर पर संलिप्त लोग टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाएं पाने के हकदार नहीं होंगे।

कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाने का आदेश खारिज

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में अधीनस्थ अदालत के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें संस्थान के सीईओ अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत के समय ढाई करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया था। गुप्ता के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि रुपये जमा करने की शर्त को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि सह-आरोपियों को रेड क्रॉस के पास भी पांच करोड़ रुपये जमा करने का इसी प्रकार का निर्देश दिया गया था।

विश्व पुस्तक मेला कल से, बुजुर्गों को निशुल्क प्रवेश

विश्व पुस्तक मेला (01 से 09 फरवरी)

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम में शुरू होगा। यह दिव्यांग, बुजुर्ग और ड्रेस में आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश मुफ्त होगा। वयस्कों के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) के निदेशक युवराज मलिक ने गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि यह मेला पुस्तकों, साहित्य और संस्कृति का उत्सव मनाते हुए पहले से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर होने वाला है। यह न केवल पुस्तकों और विरासत का उत्सव मनाने वाला एक भव्य समारोह बनने जा रहा है, बल्कि यह एक महत्वाकांक्षी भारत के क्षितिज और उसके उज्ज्वल भविष्य को आकार देने वाले दृष्टिकोण की ओर भी अपनी ध्यान केंद्रित करेगा। इस बार 50 देश के लोग आएंगे। इसके अलावा 2000 से अधिक प्रकाशक और स्टाल लगेंगे। बच्चों के लिए विशेष पवेलियन के अलावा काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार की थीम, 'हम भारत के लोग हैं'।

महत्वपूर्ण जानकारी

- **समय:** सुबह 11:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक
- **स्थान:** हॉल 2-6, भारत मंडपम (प्रगति मैदान)
- **प्रवेश द्वार:** गेट-10 (मेट्रो स्टेशन के पास), गेट नंबर-4 (भैरों रोड), गेट नंबर-3
- **निकटतम मेट्रो स्टेशन** - सुप्रीम कोर्ट
- गेट नंबर-10 से शटल सेवा उपलब्ध होगी

नामी लोग शिरकत करेंगे

विश्व पुस्तक मेले में साहित्य, शासन, प्रौद्योगिकी, कला और सिनेमा सहित विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों से अग्रणी लोग आएंगे। इसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फोनसोख लद्दाखी, पुष्पेश पंत, शशि थरूर, गजेंद्र सिंह शेखावत, गोविंद ढोलकिया, कुमार विश्वास, प्रकाश झा सहित कई लोग विभिन्न सत्रों में दर्शकों से जुड़ेंगे।

तेज धूप से साढ़े चार डिग्री चढ़ा पारा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। इसके चलते तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग साढ़े चार डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। इसके चलते सफदरजंग में दृश्यता का स्तर 500 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। आठ बजे के बाद कोहरा छंटने लगा और धूप निकल आई। दिन के ज्यादातर समय तेज धूप रही। इसके चलते सफदरजंग में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है।

■ दिल्ली में आज सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना

न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा है। आर्द्रता का स्तर 97 से 46 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार सुबह भी हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन के समय हल्के बादलों की भी आवाजाही रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान के 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान के नौ से ग्यारह डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

पांचवीं तक कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी

नई दिल्ली प्र.सं.। ग्रैप पाबंदियों के चलते स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित होंगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निदेशालय के अनुसार, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी और दूसरे निकायों के अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में अगले आदेश तक संचालित होंगी।

अनुसंधान दिवस पर शोधकर्ता सम्मानित

नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली एम्स ने गुरुवार को अपना चौथा वार्षिक अनुसंधान दिवस मनाया। दो दिवसीय आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में शीर्ष शोधकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में देशभर के 20 एम्स संस्थानों के डीन शामिल हुए। उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने और एकीकृत अनुसंधान ढांचे के निर्माण पर चर्चा की। शुभारंभ के दौरान एम्स के केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं का अवलोकन किया।

'छोटे व्यापारियों को सस्ती ब्याज दर पर जल्द लोन मिले'

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्र सरकार के आम बजट से दिल्ली के व्यापारियों और आम नागरिकों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर देश के मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को विशेष तौर पर राहत दिए जाने की मांग उठाई है।

1000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा करने की मांग

45 दिन में पेमेंट नहीं करने पर जुर्माने के नियम को हटाया जाए

■ उद्यमियों के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करने का मुद्दा उठाया

सीटीआई ने वृद्ध करदाताओं को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनेफिट देने समेत कई अन्य मांगें की हैं। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र में करदाता की वृद्धावस्था में पिछले वर्षों में दिए गए आयकर के हिसाब से उसे सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट लाभ देने की मांग की है। मध्यम वर्ग को भी राहत देने के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की है।

उद्यमी को एमनेस्टी स्कीम का लाभ दिया जाए : गोयल

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने ने कहा कि व्यापारियों के लिए 45 दिन में पेमेंट नहीं करने पर जुर्माने का जो नया नियम लागू किया गया है, इससे करोड़ों व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर के उद्यमी परेशानी झेल रहे हैं। इस नियम को वापस लिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम हो : खंडेलवाल

दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने व्यापारी वर्ग की ओर से स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम किए जाने, आयकर में भी जीएसटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम लागू किए जाने की मांग की गई है।

विशेष पैकेज की घोषणा होनी चाहिए : पम्मा

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा का कहना है कि व्यापारियों को इस बार बजट से काफी उम्मीदे हैं। इसमें व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

युवाओं की भूमिका अहम: जयशंकर

नई दिल्ली,प्र.सं.। डीयू के हंसराज कॉलेज में गुरुवार को 'विकसित भारत के लिए युवा' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बिना ये संभव नहीं है। इस दौरान जयशंकर ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

अदालत ने फिल्म पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्र.सं.। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील और अन्य की याचिका पर केन्द्र और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जवाब मांगा। इसमें कथित तौर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा पर आधारित फिल्म को बंद करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने नोटिस जारी किए हैं।

195 फोन समेत एक गिरफ्तार

नई दिल्ली, का.सं.। क्राइम ब्रांच की दरियागंज साइबर पुलिस ने 195 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बाजार में इनकी कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त संजय कुमार सैन ने बताया कि फोन के साथ आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। मोबाइल वजीराबाद में छापेमारी के बाद बरामद हुए हैं।

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

IEW इंडिया एनर्जी वीक 2025

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही हेतु गैर लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम का सारांश (करोड़ ₹ में स्वत: स्पष्ट को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माही		समाप्त वित्तीय वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माही		समाप्त वित्तीय वर्ष
		31 दिसंबर 2024	31 दिसंबर 2023	31 दिसंबर 2024	31 दिसंबर 2023	31 मार्च 2024	31 दिसंबर 2024	31 दिसंबर 2023	31 दिसंबर 2024	31 दिसंबर 2023	31 मार्च 2024
		गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	गैर लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	34,957.76	34,253.52	1,01,580.11	98,303.61	1,30,638.11	36,937.05	34,767.84	1,05,740.27	1,00,666.30	1,33,499.54
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और / या असाधारण मद पूर्व)	2,588.72	3,693.99	9,683.46	8,712.80	11,554.56	2,832.01	4,074.77	10,415.48	9,495.74	12,595.01
3	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मद पश्चात)	5,028.75	3,693.99	12,123.49	8,712.80	11,554.56	5,272.04	4,074.77	12,855.51	9,495.74	12,595.01
4	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मद पश्चात)	3,867.38	2,842.62	9,263.29	6,659.51	8,836.48	4,084.24	3,193.34	9,957.26	7,428.50	9,902.81
5	अवधि हेतु कुल विस्तृत आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) सहित)	2,174.51	3,044.81	8,487.76	8,295.53	12,142.03	2,454.23	3,334.75	9,208.76	8,895.63	13,041.73
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रत्येक)	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10
7	रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व के अलावा)					49,555.98					58,302.34
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	-	-	-					
9	निवल मूल्य	65,429.62	57,547.86	65,429.62	57,547.86	56,131.08					
10	बकाया ऋण	12,126.84	14,195.16	12,126.84	14,195.16	16,413.08					
11	बकाया विमोच्य वरीयता शेयर	-	-	-	-	-					
12	ऋण इक्विटी अनुपात (गुना में)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.29					
13	प्रति शेयर आय (रु में) (अंकित मूल्य 10/- प्रत्येक (चालू एवं बंद प्रचालनों हेतु) (क) मूल (ख) तनुकृत (तिमाही एवं नौ माही हेतु ईपीएस का वर्षिकीकरण नही किया गया)	5.88 5.88	4.32 4.32	14.09 14.09	10.13 10.13	13.44 13.44	6.21 6.21	4.86 4.86	15.15 15.15	11.30 11.30	15.06 15.06
14	पूंजी रिडेम्पशन रिज़र्व	126.74	126.74	126.74	126.74	126.74					
15	ऋण सेवा आवृत अनुपात (गुना में)	5.18	4.00	4.24	3.39	3.31					
16	ब्याज सेवा आवृत अनुपात (गुना में)	20.92	16.46	16.04	12.98	12.97					

टिप्पणियाँ:-1. उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 एवं विनियम 52 के अधीन विस्तृत प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किए गए 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुसार है, जिसे उसके अंतर्गत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों और सामान्यत: भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए।
3. विनियम 52 (4) सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के लिए स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर प्रासंगिक प्रकटीकरण किये गए हैं।
4. पिछली अवधि के आंकड़ों को, चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: समूहीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जनवरी 2025

विस्तृत वित्तीय परिणाम पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

पंजीकृत कार्यालय: गेल भवन, 16, भिकाईजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066 | सीआईएन: L40200DL19 … 8976

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
(आर. के. जैन)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(डीआईएन: 08788595)

www.gailonline.com
#EnergizingPossibilties
हमें फॉलो करें:

CamScanner